

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 536/2021

निर्णय दिनांक :- 22/10/21

उनवानी दावा :

..... श्री मोतीलाल ..... बनाम तहसीलदार ..... श्री .....  
उपस्थिति :-

..... श्री .....  
.....

तहसीलदार देवली/दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प चारोड में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार ..... श्री ..... को अपना नाम वाके ग्राम ..... खाला मुजपुरा जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या ..... 5 ..... में दर्ज मोतीलाल पुत्र मोल के स्थान पर मोतीलाल पुत्र मोहलाल दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार ..... श्री ..... ने पटवार हल्का चारोड व भू0अ0नि0 नश (फैरी की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार ..... श्री ..... से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार ..... श्री ..... को वाके ग्राम ..... खाला मुजपुरा जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या ..... 5 ..... में दर्ज मोतीलाल पुत्र मोल के स्थान पर मोतीलाल पुत्र मोहलाल दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुल न्यायालय कैम्प ..... चारोड ..... में सुनाया गया।

D. D. S.  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली